रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, अक्तूबर 7—अक्तूबर 13, 2018, शनिवार/आश्विन 15—आश्विन 21, 1940

No. 23] NEW DELHI, OCTOBER 7—OCTOBER 13, 2018, SATURDAY/ASVINA 15— ASVINA 21, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

का.नि.आ. 82.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2). **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— (1) Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank of respective Command Headquarter - Chairman (2) Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/Lieutenant or Civilian Officers of equivalent rank of respective Command Headquarters - Members	Not applicable

[F. No. CP(NG)/2827/ MTS(Ministerial)/RR/269/2018/D (Apptts.)]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.

The original rules were published vide S.R.O. 149/2000 dated 20 Jun 2000.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का.नि.आ. 85.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' औधोगिक पद (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2014 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' औद्योगिक पद (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' औद्योगिक पद (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2014, में,—

(अ) नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(आ) अनुसूची में.—

(क) ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-I के पद से संबंधित क्र. सं. 1 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर,

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (28200-92300 रु.)",

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रोन्नति: ऐसे ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-II ["वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.)] में ["तत्कालीन परीक्षक अतिकुशल श्रेणी-II या तकनीशियन अतिकुशल श्रेणी- II (यांत्र) या तकनीशियन अति कुशल श्रेणी-2 (इलैक्ट्र)] जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-II जिन्होंने ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-II और ट्रेडसमैन कुशल की श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की है जिसमें से ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-II की श्रेणी में कम से कम एक वर्ष नियमित सेवा की हो।"

टिप्पण 1: सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय ट्रेड परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) ट्रेडसमैन अतिकुशल श्रेणी-II के पद से संबंधित क्र. सं. 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टयों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)",

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रोन्नति : ऐसे ट्रेडसमैन कुशल श्रेणी ["वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.)] में" [तत्कालीन परीक्षक कुशल श्रेणी या तकनीशियन कुशल श्रेणी (यांत्र.) या तकनीशियन कुशल श्रेणी (इलैक्ट्र.)] जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण 1: सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय ट्रेड परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी

कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ग) ट्रेडसमैन कुशल श्रेणी के पद से संबंधित क्र. सं. 3 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रु.)",

(ii) स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1(18000-56900 रु.) में ऐसे ट्रेडसमैन मेट जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।

(घ) ट्रेड्समैन मेट के पद से संबंधित क्र. सं. 4 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में, शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) "

[सं. 4741/आर.आर (समूह 'ग' औद्योगिक पद)/वै.गु.आ.मनि/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 42, द्वारा तारीख 10 जून, 2014 को प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 19th September, 2018

S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014,—

(A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"**2. Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (3) to (5) of the Schedule annexed to these rules."

(B) in the Schedule,—

(a) against serial number 1, relating to the post of Tradesman Highly Skilled Grade-I,—

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto the following shall be substituted , namely :—

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
"Level 5 in the pay matrix (Rs. 28200-92300)";

(ii) in column (11), for the entries, the following shall be substituted, namely:—

" **Promotion:** Tradesman Highly Skilled Grade-II {erstwhile Examiner Highly Skilled Grade-II or Technician Highly Skilled Grade-II (Mech) or Technician Highly Skilled Grade-II (Elect) in Level-4 in the pay matrix (Rs 25500-81100) } with five years regular service in the grade, failing which by Tradesman Highly Skilled Grade-II with a combined regular service of thirteen years in Tradesman Highly Skilled grade-II and Tradesman Skilled grade out of which at least one year regular service in the grade of Tradesman Highly Skilled Grade-II."

Note 1 : All eligible candidates are to qualify the Departmental Trade Test conducted by the Departmental Promotion Committee.

Note 2 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(b) against serial number 2 relating to the post of Tradesman Highly Skilled Grade-II,—

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely :—

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)";

(ii) in column (11), for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion: Tradesman Skilled Grade [erstwhile Examiner Skilled Grade or Technician Skilled Grade (Mech) or Technician Skilled Grade (Elect)] in Level- 2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with eight years regular service in the grade."

Note 1 : All eligible candidates are to qualify the Departmental Trade Test conducted by the Departmental Promotion Committee.

Note 2 : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(c) against serial number 3, relating to the post of Tradesman Skilled Grade,—

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely :—

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)";

(ii) in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Promotion: Tradesman Mate in Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000- 56900) with three years service in the grade after appointment thereto on regular basis.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.";

(d) against serial number 4, relating to the post of Tradesman Mate,—

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted , namely :—

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)";

[No. 4741/RR (Group 'C' Industrial posts)/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, *vide* S.R.O. 42, dated the 10th June, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.10.29 19:25:32 +05'30'